कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/निस्तार/1041 भोपाल, दिनांक 13–3–2003

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय :– **निस्तारी जलाऊ चट्टे की बिक्री दर के संबंध में।**

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 573 दिनांक 5–2–99.

––0––

आपके द्वारा वर्ष 2003 की निस्तार पुस्तिका के अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि विभिन्न वनमंडलों में जलाऊ चट्टे निस्तार में प्रदाय किये जाने के लिये आपके द्वारा जो दर अनुमोदित की है, वह रूपये 100/– प्रति चट्टे से अधिक है।

कृपया प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/निस्तार/2952 दिनांक 19–6–2001 का अध्ययन करें। निस्तार में जलाऊ चट्टे सुरक्षा समिति के द्वारा प्रदाय करने पर जलाऊ लकड़ी रायल्टी मुक्त कर दी गई है। इसमें सिर्फ कटाई, परिवहन एवं पर्यवेक्षण शुल्क जोड़ कर निस्तार दर निर्धारित की जानी है।

जहाँ निस्तार में जलाऊ चट्टे सीधे ग्रामीणों को दिये जाने हैं वहाँ रूपये 25/– रायल्टी तथा कटाई, परिवहन एवं पर्यवेक्षण शुल्क जोड़कर निस्तार दर निर्धारित की जानी है। यह गणना रूपये 100/– से कम ही परिगणित होनी चाहिये।

कृपया शासन एवं इस कार्यालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप गणना कर जलाऊ चट्टे की निस्तार दर पुनरीक्षित करें, की गई कार्यवाही से तत्काल अवगत करायें।

प्रारूप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(उत्पादन) द्वारा अनुमोदित.

हस्ता.

नि. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल.